

UAPA के तहत ULFA पर प्रतिबंध

स्रोत: हट्टिस्तान टाइम्स

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने **वधिविरोध करिया-कलाप (नविवरण) अधनियम, 1967 (UAPA)** के तहत **युनाइटेड लबिरेशन फरंट ऑफ असम (ULFA)** पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिये बढ़ा दिया है।

- **ULFA** असम में सक्रिय एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है जिसका उद्देश्य असम को भारत से अलग करना है।
 - ULFA का गठन **वर्ष 1979 में सशस्त्र संघर्ष** के माध्यम से "**असम की संप्रभुता की बहाली**" के लिये किया गया था।
 - ULFA पर पहली बार **वर्ष 1990 में प्रतिबंध** लगाया गया था और प्रतिबंध को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है, प्रतिबंध की समय सीमा को **अंतिम बार वर्ष 2019 में** बढ़ाया गया था।
- UAPA, 1967 की **धारा 35** के अनुसार, यदि कोई संगठन या व्यक्ति **आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा** देता है, तो सरकार उन्हें अवैध या आतंकवादी घोषित कर सकती है।

और पढ़ें: [वधिविरोध करिया-कलाप \(नविवरण\) अधनियम](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ban-on-ulfa-under-uapa>

